

उत्तराखण्ड शासन
रोजगार सृजन, कौशल विकास,
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

संख्या:- /VIII/17-70(श्रम)/2001-II

देहरादून, दिनांक: नवम्बर, 2017
०१ दिसम्बर

अधिसूचना

महानिबन्धक मा. उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5257 / XIII-f-1/Admin.A/2010, दिनांक 29.11.2017 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या: 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-89 के द्वारा उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु श्री शंकर राज, चेयरमैन, स्थायी लोक अदालत हरिद्वार, को श्रम न्यायालय, जिला हरिद्वार में पीठासीन अधिकारी के रूप में मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त करने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या 1857 (1)/VIII/17-70(श्रम)/2001-II, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिबन्धक, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र सं०-5257 / XIII-f-1/Admin.A/2010, दिनांक 29.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. महाधिवक्ता, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
6. प्रभारी, एन.आइ.सी., उत्तराखण्ड, सचिवालय।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एस.एस.वल्दिया)
अपर सचिव।